भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 956

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य

956. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे: श्रीमती भारती पारधी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने नई सरकार के पहले 100 दिनों में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत लगभग 1,50,000 महिलाओं को नए युग के कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में कौशल विकास पहलों के सफल कार्यान्वयन और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2015 से कार्यान्वित कर रहा है । पी एम के वी वाई के अंतर्गत, पूरे देश में युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (एस टी टी) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पूर्व सिखलाई की मान्यता के माध्यम से पुन: कौशल तथा कौशलोन्नयन प्रदान किया जाता है ।

पी एम के वी वाई के वर्तमान संस्करण अर्थात् पी एम के वी वाई 4.0 के अंतर्गत नई बनी सरकार के पहले 100 दिनों में 1.5 लाख महिलाओं सहित 3 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने और 50,000 भविष्योन्मुखी रोज़गार भूमिकाओं का लक्ष्य था ।

(ख) नई सरकार के गठन अर्थात् 9 जून, 2024 से, कुल 9,93,339 अभ्यर्थियों को पी एम के वी वाई 4.0 के अंतर्गत 30 सितम्बर 2024 तक प्रशिक्षित किया गया । इनमें से, 5,70,988 महिला अभ्यर्थी थीं और 2,01,187 अभ्यर्थियों को भविष्योन्मुखी रोज़गार भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया गया।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित उपरोक्त अवधि के दौरान पी एम के वी वाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की राज्य वार संख्या ***अनुबंध-I*** में दी गई है ।

(ड.) सरकार पूरे देश में पी एम के वी वाई के सफल कार्यान्वयन और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाती रही है । इन प्रयासों का लक्ष्य कौशल अंतरालों को पाटना, नियोजनीयता को बेहतर बनाना और आर्थिक प्रगति को समर्थन देना है । उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

i. नए युग के कौशलों जैसे कि इंडस्ट्री 4.0, वैब 3.0, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, चक्रिय अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान केन्द्रित करना ।
ii. आकलन में नवाचार, बेहतर पर्यवेक्षण के माध्यम से पूर्व सिखलाई को मान्यता प्रदान करने के अंतर्गत पुन: कौशलन और कौशलोन्नयन पर बल देना ।
iii. अभ्यर्थियों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओ जे टी) पर और अधिक भरोसा करना ।
iv. उद्योग के साथ भागीदारी में कोर्स चला कर कोर्स पाठ्यक्रमों में लचीलापन ।
v. शैक्षणिक संस्थानों अर्थात् आई टी आई/ विद्यालयों/महाविद्यालयों/केन्द्र और राज्य सरकार की संस्थाओं आदि में उपलब्ध अवसंरचनाओं की परस्पर उपयोगिता ।
vi. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संरेखण में प्रशिक्षण और सैमीकन्डक्टर, 5जी, ए आई, हरित हाइड्रोजन, ई वी, सौर मिशन, केयर, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में समूहों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नीतिगत उद्घोषणाएं ।

मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र को शामिल करते हुए घरेलू कामगारों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के युवा को उद्योग संगत कौशल कोर्स, रोज़गार के अवसर और उद्यमशीलता समर्थन प्रदान करके कौशल उन्नयन के लिए एक व्यापक और सुगम प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल (एस आई डी) भी लांच किया है ।

अनुबंध I

दिनांक 10.02.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

9 जून 2024 से 30 सितम्बर 2024 के दौरान पी एम के वी वाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की राज्य वार संख्या

क्रम सं०	राज्य / संघ क्षेत्र	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	333
2.	आंध्र प्रदेश	5,930
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,678
4.	असम	29,909
5.	बिहार	25,588
6.	चंडीगढ़	228
7.	छत्तीसगढ	2,969
8.	दिल्ली	2,099
9.	गोवा	0
10.	गुजरात	12,111
11.	हरियाणा	15,295
12.	हिमाचल प्रदेश	3,880
13.	जम्मू और कश्मीर	29,191
14.	झारखंड	10,162
15.	कर्नाटक	12,613
16.	केरल	2,944
17.	लद्दाख	75
18.	लक्षद्वीप	46
19.	मध्य प्रदेश	90,298
20.	महाराष्ट्र	16,034
21.	मणिपुर	5,980
22.	मेघालय	2,071
23.	मिजोरम	1,236
24.	नगालैंड	710
25.	ओडिशा	6,949
26.	पुदुचेरी	752
27.	पंजाब	39,803
28.	राजस्थान	66,960
29.	सिक्किम	956
30.	तमिलनाडु	23,618
31.	तेलंगाना	5,489
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	511
33.	त्रिपुरा	3,851
34.	उत्तर प्रदेश	1,26,085
35.	उत्तराखंड	13,474
36.	पश्चिम बंगाल	9,160
	योग	**5,70,988**

******